न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

निगरानी क्रमांक :– /2017

R-746-I/17

(87)

अग्रसेन ट्रस्ट द्वारा ओमप्रकाश अग्रवाल पुत्र मुकुटविहारी अग्रवाल, निवासी प्रतापपुरा तहसील ओरछा जिला टीकमगढ़ (म0प्र0)

........निगराकार

बनाम्

1. सोहन तनय रतनलाल, निवासी ग्राम प्रतापपुरा तहसील ओरछा जिला टीकमगढ़ (म0प्र0)
2. कैलाश तनय मोहनलाल गुप्ता, निवासी पिछोर मेडीकल कॉलेज के पास झांसी जिला झांसी (उ0प्र0)

............प्रति निगराकार

श्री .... द्वारा आज दि. 27.2.17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 27.2.17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 पुनरीक्षण अधीनस्थ न्यायालय 53B/121/13-14 में पारित आदेश दिनांक 02.06.2016 से परिवेदित होकर।

महोदय,

निगराकार की विनय सादर निम्न प्रकार है :–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, भूमि स्थित ग्राम प्रतापपुरा तहसील ओरछा खसरा क्रमांक 204 अनावेदक एवं आवेदक के स्वामित्व की भूमि है जिसे अनावेदक क्रमांक 1 एवं 2 के द्वारा तहसीलदार ओरछा के बंटवारा प्रकरण क्रमांक 10A/27/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 21.02.2013 को बंटवारा स्वीकार कर आवेदक/निगराकार को उसका रकवा हिस्सा कम करके बंटवारा स्वीकृत किया जिससे परिवेदित होकर निगराकार द्वारा कलेक्टर, टीकमगढ़ के समक्ष 90 भू.रा.सं. जिसे आगे संहिता कहा जावेगा। संहिता के अंतर्गत धारा 32 का आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें पूरी सुनवाई एवं स्थल निरीक्षण दोनों पक्षों की उपस्थिति उपरांत अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 02.06.2016 को यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि, प्रकरण प्रचलन योग्य नहीं है।

–:: **निगरानी के आधार** ::–

(1) यह कि, प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण प्रक्रिया लगातार तीन वर्ष तक प्रकरण सुनवाई में रखा एवं गणदोष देखे बिना निर्णय पारित किया, जो सही नहीं है।

(2) यह कि, आवेदन के साथ संलग्न अनुसूची क्रमांक 1 (पटवारी रिपोर्ट) में

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी 746–एक/17 जिला–टीकमगढ

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5–05–17	आवेदक के अधिवक्ता श्री सुनील सिंह जादौन उपस्थित। उनके द्वारा यह निगरानी यअपर कलेक्टर जिला टीकमगढ के प्रकरण कमांक 53/बी–121/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 2.6.2016 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2–आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि भूमि स्थित ग्राम प्रतापपुरा तहसील ओरछा खसरा कमांक 204 अनावेदक एवं आवेदक के स्वामित्व की भूमि है जिसे अनावेदक कमांक 1 व 2 के द्वारा तहसीलदार ओरछा के बंटवारा स्वीकार कर जिससे दुखित होकर आवेदक द्वारा म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 32 का आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें पूरी सुनवाई एवं स्थल निरीक्षण दोनों पक्षों की उपस्थिति उपरांत दिनांक 2.6.16 को यह कहते हुये निरस्त कर दिया कि प्रकरण प्रचलन योग्य नहीं है। 3– आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने तथा उपलब्ध प्रकरण का अवलोकन किया तथा दस्तावेजों का अध्ययन करने पर प्रतीत होता है कि प्रकरण में संपूर्ण	

कार्यवाही करने के उपरांत अपर कलेक्टर द्वारा मात्र यह कहते हुये प्रकरण निरस्त कर दिया है कि यह चलने योग्य नहीं है। अपर कलेक्टर के आदेश पत्रिका की सत्यप्रतिलिपि दिनांक 7.8.13 का अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रकरण की वस्तुस्थिति इस प्रकार लेख की गई है कि :– **"प्रकरण आज मौके पर रख गया। मौके पर हल्का पटवारी और राजस्व निरीक्षक उपस्थित। साथ ही ट्रस्ट अध्यक्ष ओम प्रकाश अग्रवाल, कैलाश गुप्ता तथा सरहदी व्यक्ति कंवर सिंह यादव एवं अशोक अग्रवाल उप0। मौके पर अग्रेसेन धाम ट्रस्ट का निर्माण कार्य बन्द है, वर्षा के कारण । मौके पर कोइ मेड नहीं डाली गयी है जमीन शामिलाती है। विवादित बटवारा तहसीलदार ओरछा द्वारा किया गया है। अनावेदक कैलाश गुप्ता के प्रतिनिधि अरविंद श्रीवास्तव मौके पर उप0 है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल प्रकरण बुलाया जाये। बुलावा पत्र जारी हो। हल्का पटवारी यह प्रतिवेदन पेश करें कि ट्रस्ट को भूमि किस तहर से कब–कब हस्तांतरित हुई है। साथ में नक्शा व खसरा भी लगा कर प्रस्तुत करें। प्रकरण दिनांक 20.8.13 को पेश हो"** इससे स्पष्ट होता है कि प्रकरण में न तो धारा–32 की आपत्ति अनावेदक द्वारा अपर कलेक्टर के समक्ष की गई और न ही अपर कलेक्टर द्वारा इस संबंध में गौर किया कि प्रकरण चलने योग्य है अथवा नहीं दिनांक 27.4.13 से दिनांक 30.5.16 तक यह प्रकिया चलती रही, और अंत में दिनांक 2.6.16 को यह कहते हुये प्रकरण निरस्त कर

दिया गया कि प्रकरण चलने योग्य नहीं है।

4– उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधिवक्ता द्वारा म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 32 का आवेदन प्रस्तुत किया, जबकि बंटवारा आदेश के विरूद्व धारा 44 के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत करनी थी। इससे स्पष्ट कि अधिवक्ता की त्रुटि के कारण पक्षकार को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता। अतः अपर कलेक्टर जिला टीकमगढ के न्यायालय में प्रकरण प्रचलन में रहा वह समय सीमा क्षमा योग्य है। अतः आवेदक चाहे तो एक माह के अन्दर अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील कर सकता है, जिससे से उसको न्याय दान मिल सके। अतः प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजी जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य